वन अधिकार कानून, 2006:
भूमिकाएँ और ज़िम्मेदारियां

Empowered lives.
Resilient nations.

वन अधिकार कानून के प्रभावी क्रियान्वयन के लिये इस कानून के तहत विभिन्न स्तरों जैसे गाँव, उप-मंडल, ज़िला व राज्य स्तर पर समितियों का गठन करने का प्रावधान है और हर समिति की भूमिकाएँ व जिम्मेदारियों को कानून में विस्तार से बताया गया है।

ग्राम सभा एवं वन अधिकार समिति (FRC)

ग्राम सभा

गाँव/मोहाल/तोक/हेमलेट स्तर पर ग्राम सभा गठित होती है जिसमें सभी 18 साल से बड़े व्यक्ति सदस्य होते हैं। ग्राम सभा का कोरम कुल व्यस्क सदस्यों का 1/2 होगा, जिस में 1/3 महिलाओं की उपस्थिति अनिवार्य है।

मुख्य कार्य और भूमिकाएँ

1. वन अधिकार समिति का गठन करना।
2. पात्र दावेदारों से वन अधिकार के दावे आमंत्रित करने व वन अधिकार समिति को इनको स्वीकार करने के लिए अधिकृत करना।
3. वन अधिकार समिति को सामुदायिक दावे-पत्रों के लिए साक्ष्य इत्यादि इकठ्ठा व इनको भरने के लिए अधिकृत करना।
4. वन, वन्य जीव और जैव-विविधता संरक्षण समिति का गठन करना।
5. वन अधिकार के दावों की जांच पड़ताल रिपोर्ट को सुनना व दावों को स्वीकार/अस्वीकार कर के प्रस्ताव पारित करना।
6. किसी भी तरह के कार्य के लिए वन भूमि हस्तांतरण पर विचार विमर्श कर के स्वीकृति/अस्वीकृति पर प्रस्ताव करना।

वन अधिकार समिति

इस समिति में कम से कम 10 व अधिकतम 15 सदस्य चुने जाएंगे जिसमें 2 /3 जनजाति समुदाय से व 1/3 महिलाओं का होना अनिवार्य है। अगर जन जातीय समुदाय के निवासी नहीं हैं, तो अन्य परंपरागत वन निवासी (सभी गैर जन जातिय समुदाय) इस समिति के सदस्य होंगे ; 1/3 महिलाओं की भागीदारी जरूरी।

वन अधिकार समिति अपने में से एक सचिव व एक अध्यक्ष का चयन करती है।

मुख्य कार्य और भूमिकाएँ

1. वन अधिकार क़ानून को लागू करने में ग्राम सभा की सहायता करना।
2. कानूनी प्रावधानों अनुसार समय समय पर कार्यवाही बैठक करना व कार्यवाही रजिस्टर में लिखना।
3. उप-मंडल स्तरीय समिति से साक्ष्य के लिए जरूरी दस्तावेजों के लिए आवेदन करना।
4. वन अधिकार के सामूहिक दावे भरना और निजी अधिकार के दावे पत्र आमंत्रित व स्वीकार करना।
5. प्राप्त दावों का दस्तावेजीकरण व मौके पर जा कर सत्यापन करना समायोजन करना।
6. प्राप्त दावों के सत्यापन के लिए वन, राजस्व विभाग व पंचायत के पदाधिकारियों को निर्धारित तिथि को गाँव में आमंत्रित करना।
7. सत्यापन की रिर्पोट लगा कर दस्तावेज़ को ग्राम सभा के समक्ष सत्यापन व अंतिम स्वीकृति के लिए पेश करना।
8. साझा अधिकार होने की स्थिति में वन अधिकार समितियों की साझी बैठक कर वन अधिकारों पर सहमति बनाना।

उप-मंडल स्तरीय समिति (SDLC)

उप-मंडल स्तर पर इस समिति के 6 सदस्य जिसमें 3 सरकारी और 3 ब्लॉक समिति के सदस्य होंगे। समिति के अध्यक्ष उपमंडल अधिकारी (नागरिक) होंगे। इनमें दो सदस्य अनुसूचित जनजाति समुदाय के (और जहाँ अनुसूचित जनजाति नहीं है वहां दो सदस्य अन्य परम्परागत वन निवासी) और एक महिला सदस्य होगी।

मुख्य कार्य और भूमिकाएँ

1. वन भूमि पर निर्भर लोगों/समुदायों को कानून में लिखित उद्देश्य व प्रक्रिया की जानकारी देना।
2. ग्राम सभा के सदस्यों को वन्यजीव, वन और जैव विविधता के संरक्षण व सुरक्षा से जुड़ी जिम्मेदारियों की जानकारी देना।
3. ग्राम सभा/ FRC को वनों व राजस्व नक़्शे, दाव फ़ार्म (‘क’, ‘ख’ व ‘ग’) और अन्य जरूरी दस्तावेज़ उपलब्ध करवाना।
4. वन अधिकार दावों व नक्शों की समीक्षा व सत्यापन करना।
5. ग्रामसभा द्वारा दिए गए सभी नक़्शे, जानकारी व प्रस्तावों का ब्योरा फाइल में तैयार करना।
6. वन अधिकारों के स्वरुप व उनके क्षेत्रफल को लेकर ग्राम सभाओं के बीच मतभेद का निपटारा करना।
7. ग्राम सभा के प्रस्ताव से असंतुष्ट कोई व्यक्ति, जिसके अंतर्गत राज्य अभिकरण भी है, याचिका की सुनवाई करना।
8. एक से अधिक उप-मंडलों में आने वाले दावों के लिए, उनकी उप-मंडल स्तरीय समितियों के साथ समन्वय करना।
9. ब्लाक या तहसील स्तर पर सभी सरकारी दावों को जुटाने व देखने के बाद रिकॉर्ड ऑफ़ राइट्स का प्रस्ताव बना कर उसे ज़िला स्तरीय समिति को भेजना।

जिला स्तरीय समिति (DLC)

ज़िला स्तर पर गठित 6 सदस्यों की समिति जिसमें 3 सरकारी और 3 ज़िला पंचायत/परिषद् के सदस्य होंगे। समिति अध्यक्ष ज़िला उपायुक्त होंगे। इनमें दो सदस्य अनुसूचित जनजाति समुदाय के (और जहाँ अनुसूचित जनजाति नहीं है वहां दो सदस्य अन्य परम्परागत वन निवासी) और एक महिला सदस्य होगी।

मुख्य कार्य और भूमिकाएँ

1. दावों और प्रस्तावित रिकॉर्ड ऑफ़ राइट्स पर अंतिम निर्णय करना।
2. पारित वन अधिकारों का सरकारी दस्तावेजीकरण करना और रिकॉर्ड ऑफ़ राइट्स में प्रकाशन करना।
3. अन्य ज़िला स्तरीय समितियों के साथ एक से ज्यादा जिलों में लगते दावों का समन्वय।
4. उप-मंडल स्तरीय समिति के निर्णय से आपत्ति होने पर प्राप्त याचिका पर सुनवाई।
5. घुमन्तू पशुपालकों, चारागाहों और अन्य वंचित समुदायों के दावों को भरा गया है यह सुनिश्चित करना।
6. उप-मंडल स्तरीय समिति द्वारा ग्राम सभाओं को सभी जरूरी दस्तावेज़ जैसे वन/राजस्व नक़्शे उपलब्ध करवाए गए हैं यह सुनिश्चित करना।

राज्य स्तरीय निगरानी समिति (SLMC)

10 सदस्य समिति जिसके अध्यक्ष मुख्य सचिव होंगे व सचिव कमिश्नर जनजातीय विभाग होंगे और 3 गैर सरकारी सदस्य जनजातीय सलाहाकार परिषद् से होंगे।

मुख्य कार्य और भूमिकाएँ

1. राज्य स्तर पर वन अधिकारों को मान्यता देने, जांचने व उनको निहित करने की प्रक्रिया की निगरानी करना।
2. धारा 8 के तहत नोटिस प्राप्त होने पर मामले को जांचना और सम्बंधित अधिकारियों के खिलाफ उचित कार्यवाही करना।
3. नेशनल पार्क, सैंक्चुअरी के सन्दर्भ में संकटग्रस्त वन्य जीव आवासों के मसले में पुनर्वास की प्रक्रिया की निगरानी करना।
4. जमीनी स्तर पर क़ानून के क्रियान्वयन में आयी दिक्कतों और दावों की मौजूदा स्थिति पर चर्चा के लिए तीन माह में एक बैठक करना।
5. केंद्र सरकार को दावों की मौजूदा स्थिति और उसके आँकड़ो व कारणों सहित तिमाही रिपोर्ट भेजना।

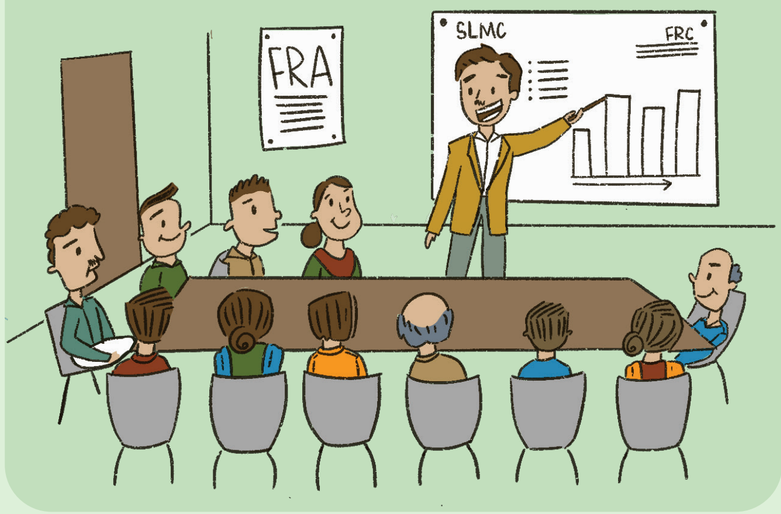

कानून के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए आप ज़िम्मेदार विभागों और अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं और हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित प्रशिक्षण पुस्तिका देख सकते हैं।